उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी- 8 /वसूली/2017–18 दिनांकः 21-4-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– बन्धकग्रस्त्र सम्पत्ति की अनुज्ञा जारी किये जाने के संचालक मण्डल में निहित अधिकारों का प्रतिनिधायन।

बैंक के परिपत्रांक 17/वसूली/13–14 दिनांक 09.07.2013 के द्वारा उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली 1971 के नियम सं0 26, 27,व 28 की कार्यवाही हेतु मुख्यालय के महाप्रबंधक (वसूली) एवं प्रबन्धक श्रेणी–3(वसूली) द्वारा नियमानुसार सम्पादित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनॉक 07.03.2017 को पारित प्रस्ताव सं0–04 के कम में उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली 1971 के अर्न्तगत नियम सं0 26, 27,व 28 की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डल प्रभारियों में प्रतिनिधानित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है–

क0 सं0	नियम संख्या	शाखा जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है	सम्बन्धित अधिकारी जिन्हें अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है।
1.	नियम–26 के अर्न्तगत बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विकय के सम्बन्ध में आपत्ति आमंत्रित करने,	जनपदस्तरीय/मण्डलस्तरीय शाखाओं को छोड़कर अन्य शाखाओं के सम्बन्ध में	जनपदस्तरीय शाखा के शाखा प्रबन्धक
	नियम–27 के अर्न्तगत उक्त आपत्तियों का निस्तारण करने एवं	जनपदस्तरीय शाखाओं के सम्बन्ध में	मण्डलस्तरीय शाखा के शाखा प्रबन्धक
	नियम–28 के अर्न्तगत बंधक ग्रस्त सम्पत्ति के विकय की अनुज्ञा जारी करने	मण्डलस्तरीय शाखाओं के सम्बन्ध में	मुख्यालय के प्रबन्धक श्रेणी–3(वसूली) एवं अपरिहार्य स्थिति में महाप्रबन्धक(वसूली)

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली 1971 के नियम सं0 26, 27,व 28 की कार्यवाही उक्तानुसार निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप सम्पादित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त प्रबन्ध समिति के प्रतिनिधानित अधिकार पूर्ववत् रहेगें तद्नुसार कार्यवाही करते हुए वसूली में गति लाना सुनिश्चित करें।

21.4.17
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार अपने आवंटित जनपद/मण्डल के कार्यक्षेत्र की शाखाओं पर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

2–समस्त अधिकारी गण प्रधान कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–निजी सचिव सभापति, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

4–उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्रधान कार्यालय, लखनऊ को शाखाओं को ई–मेल करने हेतु।

(आर0बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0/वसूली)